51

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1149–दो/2012 – विरूद्ध आदेश दिनांक 16–04–2012 – पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर, जिला छतरपुर – प्रकरण कमांक 30/2009–10 अपील

रामेश्वर पुत्र नाथूराम गुप्ता
ग्राम धवाड़ तहसील रघुराजनगर
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– रामगोपाल पुत्र नाथूराम गुप्ता
2– भरतकिशोर पुत्र गयाप्रसाद गुप्ता
3– मायादेवी पत्नि भवानीशॅकर ब्राहमण
4– कृष्णकुमार पुत्र सुरेश कुमार गुप्ता
5– पप्पू उर्फ राजेश पुत्र बाबूलाल गुप्ता
ग्राम धबाड़ तहसील रघुराजनगर जिला छतरपुर ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0श्रीवास्तव)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 4 –1 –2017 को पारित)

यह निगरारी अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 30/2009–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 16–4–2012 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार राजनगर ने

प्रकरण कमांक 19 अ-27/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 30-5-2009 से उभय पक्ष के बीच ग्राम मउ मसनिया स्थित संयुक्त खाते के बटवारे के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध रामगोपाल पुत्र नाथूराम गुप्ता ने अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के समक्ष दिनॉक 2-8-2010 को अपील प्रस्तुत की तथा अपील मेमो के साथ अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी राजनगर ने अंतरिम आदेश दिनांक 16-4-2012 से अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन स्वीकार करते हुये विलम्ब क्षमा कर दिया। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि ग्राम मउ मसनिया स्थित कुल किता 6 कुल रकबा 19 एकड़ 62 डि. भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय करके आधिपत्य प्राप्त किया गया है। सहखातेदारों के बीच बटवारा हुआ है जिसमें सभी पक्षकारों को सूचना है । दिनांक 30-5-09 के बटवारे के विरूद्ध विलम्ब से अपील प्रस्तुत हुई है जब बटवारे की सूचना सभी पक्षकारों को हो तब अपीलीय न्यायालय को हस्तक्षेप न करते हुये विलम्ब के आधार पर प्रस्तुत अपील को निरस्त कर देना चाहिये, जिससे पक्षकारों के बीच व्यर्थ मुकदमेवाजी को टाला जा सके, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने जानबूझकर अनुचित विलम्ब क्षमा किया है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 16-4-12 निरस्त किया जाय।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के प्रकरण कमांक 30/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-4-2012 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीलदार ने बटवारा आदेश दिनांक 30-5-09 पारित करते समय रामगोपाल तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं रहा है जिसके कारण उसके व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अनुमति आवेदन दिया है जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने इस आधार पर स्वीकार किया है कि जब उत्तरवादी ने अपीलांट के कब्जे की भूमि को जोता तब उसे बटवारे की जानकारी मिली है और जब रामगोपाल को तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 30-5-09 की जानकारी नहीं है उसके व्दारा जानकारी के दिन से अपील समयावधि में प्रस्तुत की गई है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने में भूल नहीं की है। उभय पक्ष के गण अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के समक्ष गुणदोष के आधार पर अपील के निराकरण के समय पक्ष प्रस्तुत करने उपचार प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप संभव नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 30/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-4-2012 उचित पाये जाने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर